भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1706
दिनांक 15.12.2025 को उत्तर के लिए नियत

पीएमईजीपी के अंतर्गत बैंक ऋण

1706. **श्रीमती राजाथी:**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत राज्य-वार संस्वीकृत बैंक ऋणों की कुल राशि कितनी है और लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला श्रेणियों के लाभार्थियों की संख्या कितनी है और हिस्सेदारी में उनका प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा कर लिया गया है; और

(घ) चालू वर्ष के लिए पीएमईजीपी के अंतर्गत संस्वीकृत धनराशि, संवितरणों और मार्जिन-मनी सब्सिडी का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): विगत तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत संस्वीकृत बैंक ऋण की कुल राशि के साथ सहायता-प्राप्त लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख): विगत तीन वर्षों के लिए पीएमईजीपी के अंतर्गत एससी/एसटी और महिला श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत हिस्सेदारी निम्नानुसार है::

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2022-23		वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2024-25	
	लाभार्थियों की सं.	% अंश	लाभार्थियों की सं.	% अंश	लाभार्थियों की सं.	% अंश
एससी	9142	10.73%	10364	11.63%	11351	19.01%
एसटी	4850	5.69%	4681	5.25%	7322	12.26%
महिला	32626	38.31%	36806	41.30%	23434	39.25%

(ग): पीएमईजीपी गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने और मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने में भावी उद्यमियों की सहायता के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है। इस स्कीम की शुरुआत से अर्थात वित्तीय वर्ष 2008-09 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक (दिनांक 10.12.2025 तक), पीएमईजीपी के अंतर्गत 10.71 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्यमों को 29,249.43 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी (एमएम) राजसहायता के साथ सहायता प्रदान की गई है, जिनसे अनुमानित ~87.25 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला है, जिससे नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार सृजन के स्कीम के उद्देश्यों को पूरा किया गया है। लगभग 50% सहायता-प्राप्त इकाइयाँ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं द्वारा स्थापित की जाती हैं और 80% इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जाती हैं, जो स्कीम के ग्रामीण और सामाजिक समावेशन फोकस को दर्शाती हैं।

(घ): वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, दिनांक 10.12.2025 की स्थिति के अनुसार, 6,255.81 करोड़ रुपये के बैंक ऋण मंजूरी के साथ 52,829 सूक्ष्म उद्यमों को पीएमईजीपी के अंतर्गत 2,083.36 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी राजसहायता संवितरण के साथ सहायता प्रदान की गई है।

*****

अनुबंध I: दिनांक 15.12.2025 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1706 को भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित

पीएमईजीपी के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान संस्वीकृत बैंक ऋण के साथ सहायता-प्राप्त लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2024-25	
		लाभार्थियों की संख्या	संस्वीकृत ऋण राशि (करोड़ रु. में)	लाभार्थियों की संख्या	संस्वीकृत ऋण राशि (करोड़ रु. में)	लाभार्थियों की संख्या	संस्वीकृत ऋण राशि (करोड़ रु. में)
1	अंडमान निकोबार	121	7.14	135	5.17	61	3.54
2	आंध्र प्रदेश	3073	380.48	5577	512.82	3249	421.45
3	अरुणाचल प्रदेश	158	19.28	169	48.62	156	25.17
4	असम	2596	172.67	2417	187.57	3170	266.4
5	बिहार	4459	358.97	6837	573.46	5035	443.88
6	चंडीगढ़-संघ राज्य क्षेत्र	15	1.75	10	0.93	5	1.01
7	छत्तीसगढ़	2543	219.58	2379	229.48	1853	197.76
8	दिल्ली	72	18.41	50	13.09	26	6.66
9	गोवा	66	8.48	68	9.85	39	5.45
10	गुजरात*	3071	733.58	3000	990.06	1783	625.68
11	हरियाणा	1559	195.94	1398	231.88	788	137.65
12	हिमाचल प्रदेश	930	90.27	974	107.63	796	86.06
13	जम्मू कश्मीर	12023	679.38	15065	827.44	9863	691.17
14	झारखंड	1851	145.96	2101	155.14	1452	106.93
15	कर्नाटक	5618	486.02	4672	497.3	2839	286.03
16	केरल	3129	212.32	3389	233.79	2260	174.73
17	लद्दाख	91	10.87	122	16.18	135	18.88
18	लक्षद्वीप	2	0.07	0	0.00	0	0.00
19	मध्य प्रदेश	5957	561.26	5292	581.23	2626	297.82
20	महाराष्ट्र**	3625	399.69	2766	380.72	1857	314.58
21	मणिपुर	545	41.86	348	23.79	608	43.63
22	मेघालय	306	18.43	280	20.38	1114	97.45
23	मिजोरम	412	41.99	401	55.71	484	47.47
24	नागालैंड	469	43.38	517	81.71	1262	102.28
25	ओडिशा	3880	328.86	2975	295.04	1867	163.63
26	पुडुचेरी	25	2.11	30	2.96	38	3.79
27	पंजाब	1564	227.2	1469	288.18	970	210.88
28	राजस्थान	2037	345.03	1678	395.89	916	224.32
29	सिक्किम	57	3.61	132	13.32	316	32.73
30	तमिलनाडु	6140	521.04	6814	590.81	3949	356.37
31	तेलंगाना	2540	302.75	2503	327.73	1850	246.4
32	त्रिपुरा	703	48.49	588	43.08	730	55.11
33	उत्तर प्रदेश	11601	1107.37	11689	1307.76	5518	638.26
34	उत्तराखंड	1803	139.2	1354	126.96	734	71.29
35	पश्चिम बंगाल	2126	212.66	1919	217.43	1359	154.98
सकल योग		**85167**	**8086.1**	**89118**	**9393.11**	**59708**	**6559.44**

** दमन और दीव सहित ** दादरा और नगर हवेली सहित*